आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
महारत्न कंपनी

REC Limited | आर ई सी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाषः +91 124 444 1300 | वेबसाइटः www.recindia.nic.in
सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2025/2317 **दिनांक : 18 जून, 2025**

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - **400 051**	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग,** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - **400 001**
स्क्रिप कोड-RECLTD	**स्क्रिप कोड-532955**
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), **Mumbai-400 051**	**Corporate Relationship Department,** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, **Mumbai - 400 001**
Scrip Code-RECLTD	**Scrip Code-532955**

विषय: सहायक कंपनी के निगमन की सूचना।

महोदय / महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: U42202DL2025GOI450309) को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल"-आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। उक्त कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसार आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनी भी है। अन्य अपेक्षित विवरण **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,

Jyoti Shubhra Amitabh

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न : उपरोक्त अनुसार

"राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड" नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन"

क्र.सं.	**विवरण**	**विस्तृत ब्यौरा**
1.	इकाई का नाम, संक्षिप्त विवरण जैसे आकार, कुल व्यापार आदि	नाम **: राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड** अधिकृत पूंजी : ₹ 5,00,000/- प्रदत्त पूंजी : 5,00,000/- कुल व्यापार: लागू नहीं (यह एक नवीन निगमित कंपनी है जो कि अपना व्यापार शुरू करने जा रही है।) विद्युत मंत्रालय ने 18 मार्च, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के तहत एक अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना आवंटित की थी, जिसमें आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को मध्य प्रदेश में राजगढ़ (1500 मेगावाट) एसईजेड-चरण ।।। में आरई परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली और मध्य प्रदेश में नीमच (1000 मेगावाट) एसईजेड-चरण ।। में आरई परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली हेतु बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का गठन 17 जून, 2025 को किया गया है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के बाद, उक्त कंपनी को सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
2.	क्या अधिग्रहण संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आएगा और क्या प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का अधिग्रहित की जा रही इकाई में कोई हित है? यदि हां, तो ब्याज की प्रकृति और उसका विवरण क्या है और क्या यह कार्य "दूरी पर" किया जाता है?	राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए यह आरईसी लिमिटेड की संबंधित पार्टी है। प्रमोटर, प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों का राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर कोई हित नहीं है।
3.	अधिकृत की जाने वाली ईकाई से संबन्धित उद्योग	विद्युत क्षेत्र

4.	अधिग्रहण के उद्देश्य और प्रभाव (लक्ष्य इकाई के अधिग्रहण के कारणों का प्रकटीकरण, यदि उसका व्यवसाय, जो कि इसमें शामिल हो परंतु सीमित नहीं हो, सूचीबद्ध इकाई के मुख्य व्यवसाय से बाहर है)	कंपनी को मध्य प्रदेश-चरण ।।। में राजगढ़ (1500 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम और मध्य प्रदेश-चरण ।। में नीमच (1000 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए निगमित किया गया है।
5.	अधिग्रहण के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या नियामक अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण	भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 18 मार्च, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार निगमित, जिसमें आरईसीपीडीसीएल को बीपीसी के रूप में नामित किया गया है।
6.	अधिग्रहण पूरा होने की सांकेतिक समय अवधि।	लागू नहीं।
7.	क्या प्रतिफल की प्रकृति नकद प्रतिफल है या शेयर स्वैप और उसका विवरण।	इक्विटी शेयर पूंजी के लिए 100% नकद अभिदान।
8.	अधिग्रहण की लागत या वह मूल्य जिस पर शेयर अधिग्रहित किये गये हैं।	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर के लिए 100% अभिदान
9.	अर्जित शेयरधारिता/नियंत्रण का प्रतिशत और/या अर्जित शेयरों की संख्या	100%
10.	अधिग्रहीत उत्पादों/व्यवसाय की दृष्टि से अधिग्रहीत इकाई के बारे में संक्षिप्त पृष्ठभूमि, निगमन की तिथि, पिछले 3 वर्षों के कारोबार का इतिहास, वह देश जिसमें अधिग्रहीत इकाई की उपस्थिति है तथा कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में)	आरईसीपीडीसीएल, अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर विद्युत मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए स्वतंत्र अंतर्राज्यीय एवं अंत: राज्यीय पारेषण परियोजना के लिए टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बीपीसी" के रूप में कार्य करता है।

******